The Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2015

Act 17 of 2015

Keyword(s):
Aryabhatta, Knowledge, University, Vice Chancellor

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 973) पटना, वृहस्पतिवार, 27 अगस्त 2015

fof/k foHkkx

vf/kl puk,

27 अगस्त 2015

सं० एल०जी०–1–15/2015/लेजः 123—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 24 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैं ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

eukt dekj,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 17,2015]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना :– चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6831/2013 (एस०एल०पी० (सी०) संख्या 8066/2013 से उद्भूत) डॉ० राम तवक्या सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के पारदर्शी ढ़ंग की आवश्यकता पर बल दिया है;

चूँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक और प्रभावी परामर्श की गुंजाइश एवं सीमा को आवश्यक माना है;

चूँकि, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु एक समान मानदंड के लिए प्रावधान करना समीचीन है;

चूँकि, अन्य बातों के साथ–साथ यह शर्त्त है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक एवं प्रभावी परामर्श के पश्चात् कुलपति के पद पर नियुक्ति की जानी है;

भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 19 अगस्त 2013 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2. **बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 में संशोधन।** – आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

''(2) कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से, इस धारा की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित 3–5 व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनेल से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
eukt dekj,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

27 अगस्त 2015

सं० एल०जी०–1–15/2015/लेजः 124—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा 24 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार राज पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
eukt dekj,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2015

[Bihar Act 17,2015]

AN

ACT

To Amend the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008

Preamble : Whereas, in Civil Appeal No. 6831/2013 (Arising from SLP (C) 8066/2013, Dr. Ram Tawakya Singh Vs. State of Bihar and others Hon'ble Supreme Court has emphasized and need for transparent mode of selection for appointment to the post of Vice–Chancellors of the State Universities,

Whereas, Hon'ble Supreme Court has considered scope and ambit of meaningful and effective consultation between State Government and the Chancellor;

Whereas, It is expedient to provide for Uniform criteria for appointment to the post of Vice–Chancellor of the State Universities;

Whereas, in other State Universities it is interalia, stipulated that appointment of Vice–Chancellor has to be made after meaningful and effective consultation between state Government and the Chancellor.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty sixth year of Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from 19th August 2013.

2. Amendment in Section 10 of Bihar Act 24 of 2008.- Sub Section (2) of Section-10 of the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 (Bihar Act 24, 2008 shall be substituted by the following:-

" (2) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from a panel of 3-5 names recommended (the names being arranged in the alphabetical order) by a committee constituted under sub-section (3)."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 973-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in